**राजस्थान उच्च न्यायालय**

**जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 4993/2025

लाल चंद आसोपा पुत्र महादेव, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम नापासर, जिला बीकानेर, वर्तमान में प्रधान, पंचायत समिति बीकानेर, जिला बीकानेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये निदेशक एवं विशेष सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग ।
2. उपायुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
4. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर, जिला बीकानेर।

---- प्रत्यर्थीगण

---

| | | |
|---|---|---|
| याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से | : | श्री जी.आर. पुनिया, वरिष्ठ अधिवक्ता,<br>श्री मदन बेनीवाल द्वारा सहायता प्राप्त,<br>श्री सी.एस. कोटवानी, श्री तुषार थानवी के साथ |
| प्रत्यर्थी(गण) की ओर से | : | श्री राजेश पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता-एएजी<br>श्री मोनल चुघ द्वारा सहायता प्राप्त,<br>श्री कुलदीप वैष्णव |

---

**न्यायाधिपति दिनेश मेहता**

**निर्णय**

**रिपोर्ट योग्य** **01/05/2025**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांकित 17.02.2025 (अनुलग्नक-6) से व्यथित होकर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (इसमें इसके पश्चात् '1994 का अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 101(2)(डी) में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रधान के पद से हटा दिया गया है, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के रिट अधिकारिता का अवलम्ब लिया है।

2. संक्षिप्ततः वृतांत दिया गया, चुनौती से संबंधित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता - गांव-नापासर का निवासी, ने पंचायत समिति, बीकानेर के वार्ड नंबर 9 से सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा था।

---

3. वार्ड नं. 9 से विजयी घोषित होने के बाद, उसने पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा और 10.12.2020 को निर्वाचित घोषित किया गया।

4. याचिकाकर्ता द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (इसमें इसके पश्चात् '2009 का अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 329 के साथ धारा 3(1)(ए) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.11.2024 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार, ग्राम पंचायत, नापासर को नगरपालिका बोर्ड घोषित किया गया।

5. ग्राम पंचायत, नापासर को नगरपालिका बोर्ड घोषित करने के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी - राज्य ने दिनांक 28.11.2024 को एक आदेश जारी किया और घोषित किया कि राजस्व गांव-नापासर के पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को हटा दिया गया माना जाएगा।

6. पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, बीकानेर ने आक्षेपित आदेश पारित किया और घोषित किया कि पंचायत समिति, बीकानेर के प्रधान का पद रिक्त हो गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को उक्त पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 से सदस्य के रूप में हटा दिया गया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुनिया ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पंचायत समिति, बीकानेर के प्रधान पद पर वार्ड संख्या 9 से जीतकर निर्वाचित किया गया था, जिसमें पंचायत समिति, बीकानेर के वार्ड संख्या 9 से उसकी सदस्यता शामिल है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और न ही उसके प्रधान पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसने व्यक्तिगत हैसियत से वार्ड संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता तथा तत्पश्चात पंचायत समिति के प्रधान चुना गया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि केवल इसलिए कि ग्राम पंचायत, नापासर को नगर पालिका बोर्ड घोषित कर दिया गया है, प्रधान पद पर बने रहने का उनका अधिकार समाप्त नहीं होता।

9. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 1994 के अधिनियम की धारा 2(1)(xiii) में दी गई 'सदस्य' की परिभाषा के अनुसार, "सदस्य से तात्पर्य पंचायती राज संस्था के सदस्य से है और इसमें 'सरपंच' भी शामिल है"।

10. दूसरे शब्दों में, उनका तर्क यह था कि ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित करने के परिणामस्वरूप, केवल उक्त ग्राम पंचायत के सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन होगा, न कि उन अन्य सदस्यों की, जिनके चुनावों का उस ग्राम पंचायत से

कोई सीधा संबंध या सह-संबंध नहीं था। इस बात पर बल दिया गया कि याचिकाकर्ता ने पंचायत समिति, बीकानेर के वार्ड संख्या 9 (गाँव-नापासर) से चुनाव लड़ा था, न कि ग्राम पंचायत, नापासर से।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि धारा 3(1) 2009 के अधिनियम की धारा (iii) नगरपालिकाओं के परिसीमन या सृजन की स्थिति में ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल और अवधि बचाती है और इसलिए, याचिकाकर्ता का पंचायत समिति, बीकानेर के प्रधान के रूप में कार्यकाल भी बचा है। श्री पुनिया ने तर्क दिया कि यह घोषित करना मनमाना और अनुचित है कि याचिकाकर्ता पंचायत समिति के सदस्य और प्रधान के रूप में नहीं रह गया है, जबकि ग्राम पंचायत, नापासर के सदस्यों अर्थात सरपंच, उप-सरपंच को 07.11.2024 की अधिसूचना के माध्यम से नगरपालिका बोर्ड, नापासर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बने रहने की अनुमति दी गई है और उन्हें माना गया है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिनांक 07.02.2023 के अंतरिम आदेश पर भरोसा किया, जो इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा श्रीमती रसनम बाई बनाम राजस्थान राज्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2501/2023) के मामले में पारित किया गया था और प्रार्थना की कि दिनांक 28.11.2024 और 17.02.2025 के आक्षेपित आदेश पर रोक लगाई जाए, साथ ही सूचित किया कि उक्त अंतरिम आदेश की खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है।

13. श्री पुनिया ने यह भी तर्क दिया कि दलीप कुमार, जो पंचायत समिति, खाजूवाला के वार्ड नं. 9 से निर्वाचित हुए था, अभी भी सदस्य के रूप में कार्यरत है, जबकि उक्त पंचायत समिति, खाजूवाला को भी नगर पालिका घोषित किया जा चुका है।

14. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश पंवार ने तर्क दिया कि 2009 के अधिनियम की धारा 3(1) (iii) ग्राम पंचायत के सदस्यों की अवधि और कार्यकाल को बचाती है जिसे नगरपालिका बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता संबंधित पंचायती राज संस्था, अर्थात् ग्राम पंचायत, नापासर का सदस्य नहीं था, जिसे नगरपालिका बोर्ड, नापासर में परिवर्तित कर दिया गया है, वह दावा नहीं कर सकता कि उसके कार्यकाल को भी बचाने की आवश्यकता है।

15. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता वार्ड संख्या 9 से निर्वाचित हुआ था, जिसमें ग्राम-नापासर भी शामिल था और चूँकि ग्राम-नापासर अब ग्राम पंचायत नहीं रहा, इसलिए वह उस वार्ड से सदस्य नहीं रह सकता। उन्होंने आगे कहा कि चूँकि याचिकाकर्ता अब सदस्य नहीं रहा, इसलिए वह प्रधान पद पर भी नहीं रह सकता।

16. यह तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत, नापासर के नगर पालिका में परिवर्तित होने पर, उक्त क्षेत्र 'राजस्व गांव' के रूप में जारी नहीं रह गया है और अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत जारी बल घोषणा के अनुसार 'शहरी क्षेत्र' बन गया है।

17. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 2009 के अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, न केवल पंचायत समिति, नापासर के सदस्य बल्कि राजस्व गांव-नापासर से निर्वाचित अन्य सभी सदस्य संबंधित पंचायती राज संस्था के सदस्य के रूप में समाप्त हो गए हैं।

18. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने धारा 3 के प्रावधानों, विशेष रूप से, 2009 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के प्रभाव को समझाने के लिए भींवराम बनाम राजस्थान राज्य (डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 12152/2023) के मामले में पारित खंडपीठ के फैसले दिनांक 07.08.2023 का संदर्भ लिया।

19. खाजूवाला के दलीप कुमार के संबंध में श्री पुनिया की दलील के जवाब में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वस्तुतः स्वीकार किया कि उक्त दलीप कुमार पंचायत समिति के सदस्य के रूप में बने नहीं रह सकते हैं और राज्य उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया में है।

20. पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा वैधानिक प्रावधानों सहित सुसंगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

21. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पूर्व, 2009 के अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को पुनः उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा:-

> **धारा *3* की उपधारा *(1)* ।**
>
> नगरपालिकाओं का परिसीमन.- *(1)* राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र को, जो नगरपालिका की सीमाओं में सम्मिलित नहीं है, नगरपालिका घोषित कर सकेगी, या ऐसे किसी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी, या किसी नगरपालिका की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेगी और जब
>
> (क) किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया गया है या उसमें सम्मिलित किया गया है, या
>
> *(ख)* कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित रखा गया है, या

*(*ग*)* किसी नगरपालिका की सीमाएं एक नगरपालिका के दूसरे में विलय द्वारा या किसी नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित कर दी जाती हैं, या

*(*घ*)* कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रह जाता है, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उपबंध कर सकेगी,-

*(i)* खंड *(*क*)* के अंतर्गत आने वाले मामले में, क्षेत्र या अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का चुनाव नियत दिन से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा*;*

*(ii)* खंड *(*ख*)* के अंतर्गत आने वाले मामले में, वे सदस्य जो राज्य सरकार की राय में नगरपालिका से बहिष्कृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटा दिए जाएंगे*;*

*(iii)* खंड *(*ग*)* के अंतर्गत आने वाले मामले में, कि जब तक उस नगरपालिका का कार्यकाल, जिसमें किसी अन्य नगरपालिका का विलय किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ऐसी अन्य नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे जिसमें ऐसी अन्य नगरपालिका का विलय किया जाता है और जहां किसी नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित किया जाता है, वहां नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नई नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे और ऐसी नई नगरपालिका, जब तक कि उसे पहले ही विघटित न कर दिया जाए, तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहती*;*

*(iv)* खंड *(*घ*)* के अंतर्गत आने वाले मामले में, नगरपालिका विघटित हो जाएगी। स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जिससे खंड *(*क*)* से *(*घ*)* में निर्दिष्ट कोई परिवर्तन प्रभावी होता है।

**धारा 3 की उपधारा (8):-**

*(8)* जब किसी गांव में समाविष्ट किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, या जब किसी क्षेत्र को गांव से बाहर रखा जाता है और नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तब उस तारीख से, जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

*(*क*)* ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रह जाएगा*;*

*(*ख*)* वह नगरपालिका, जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी*;*

*(*ग*)* जब तक उपधारा *(1)* के अधीन निर्वाचन नहीं हो जाते या इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, सरपंच, उपसरपंच और उस गांव के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पंच या पंच, जो नगरपालिका में सम्मिलित या घोषित किए गए हैं, उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, जैसी भी स्थिति हो*;*

*(*घ*)* उस पंचायत में निहित सम्पूर्ण आस्तियां और उसके विरुद्ध विद्यमान दायित्व, जिसे इस प्रकार नगरपालिका घोषित किया गया है, या उस दशा में जहां किसी गांव का केवल भाग या सम्पूर्ण भाग नगरपालिका में सम्मिलित है, उक्त आस्तियों और दायित्वों का ऐसा भाग, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को, जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है, न्यागत हो जाएगा*;*

*(*ङ*)* किसी गांव के किसी क्षेत्र को उसमें सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार स्थापित नगरपालिका ऐसे करों का उद्ग्रहण करेगी या उद्ग्रहण करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक अधिरोपित किए गए हैं*;*

*(*च*)* ऐसा कोई क्षेत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, *1994 (1994* का अधिनियम संख्या *13)* के अधीन बनाए गए समस्त नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों और उपविधियों के अधीन नहीं रहेगा।

22. अधिनियम 1994 के निम्नलिखित प्रावधान भी इस मामले पर लागू होते हैं, इसलिए उन्हें पुनः उद्धृत किया जा रहा है:-

धारा ***2(1)(ii)-***"ब्लॉक" और "पंचायत सर्किल" से क्रमशः वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिस पर पंचायत समिति या, जैसा भी मामला हो, पंचायत अपना अधिकार क्षेत्र प्रयोग करती है*;* धारा

***2(1)(xiii)-***"सदस्य" से तात्पर्य पंचायती राज संस्था के सदस्य से है और इसमें सरपंच भी शामिल है*;*

धारा ***2(1)(xvi)-***"पंचायत क्षेत्र" या "पंचायत सर्किल" से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

**धारा *10.*** पंचायत समिति की स्थापना- *(1)* राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसी जिले के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र को एक ब्लॉक घोषित कर सकेगी और इस प्रकार घोषित प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संपूर्ण ब्लॉक पर होगा, जिसमें ब्लॉक के ऐसे भाग शामिल नहीं होंगे जो किसी नगरपालिका या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित छावनी बोर्ड में सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि पंचायत समिति का कार्यालय पंचायत समिति के अपवर्जित भाग में समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में हो सकेगा।

*(2)* प्रत्येक पंचायत समिति, राजपत्र में अधिसूचित नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाली एक निगमित निकाय होगी और इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अधीन लगाए गए किसी भी प्रतिबंध और शर्तों के अधीन, क्रय, दान या अन्यथा द्वारा अर्जित करने, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति धारण करने, प्रशासित करने और हस्तांतरित करने और कोई अनुबंध करने की शक्ति रखेगी और उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

*3)* राज्य सरकार, किसी भी समय, विहित रीति से प्रकाशित एक माह के नोटिस के पश्चात्, या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत समिति या पंचायत समिति के ब्लॉक के भीतर किसी क्षेत्र के निवासियों के अनुरोध पर और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी पंचायत समिति का नाम या कार्यालय स्थान परिवर्तित कर सकेगी।

धारा ***13.*** पंचायत समिति की संरचना- *(1)* पंचायत समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-

*(क)* उप-धारा *(2)* के अधीन निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य।

*(ख)* राज्य की विधान सभा के सभी सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से शामिल है।

*(ग)* पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के अध्यक्ष*]:* बशर्ते कि *[*खंड*(ख)* और *(ग)]* को पंचायत समिति की सभी बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा, सिवाय उन बैठकों में जो प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन और पद से हटाने के लिए हों।

*(2)* राज्य सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहां तक संभव हो, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान हो *:* परन्तु एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में पंद्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और यदि किसी पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या एक लाख से अधिक है, तो प्रत्येक पंद्रह हजार या उसके एक लाख से अधिक भाग के लिए, उक्त पंद्रह की संख्या में दो की वृद्धि की जाएगी।

**धारा *101.*** पंचायती राज संस्था की सीमाओं में परिवर्तन- *(1)* राज्य सरकार किसी भी समय, विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात्, या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त किए गए अनुरोध पर, तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

*(*ए*)* ***

*(*बी*)* ***

*(*सी*)* ***

*(*घ*)* किसी स्थानीय क्षेत्र को सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को पंचायत सर्किल से बाहर कर सकेगा, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र न रह गया हो या, जैसी भी स्थिति हो, किसी अन्य पंचायत सर्किल की सीमाओं में सम्मिलित कर लिया गया हो।

*(2)* उपधारा *(1)* के अधीन कोई कार्रवाई किए जाने पर, राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध करेगी, अर्थात्*:*-

*(*ए*)* ***

*(*बी*)* ***

*(*सी*)* ***

*(*घ*)* कि, धारा के अंतर्गत आने वाले मामले में*(*घ*)* पंचायत विघटित हो जाएगी या, जैसा भी मामला हो, वे सदस्य जो राज्य सरकार की राय में पंचायत सर्किल से बाहर रखे गए स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटा दिए जाएंगे।

परंतु यह कि जब तक खंड *(*क*)* के अधीन या खंड *(*ग*)* के अधीन कोई पंचायत या नई पंचायत स्थापित नहीं हो

> जाती, तब तक पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसे प्रशासक द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे:
>
> परन्तु यह और कि कि खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्यों की किसी रिक्ति के कारण पंचायत का कोई कार्य अवैध नहीं समझा जाएगा।

23. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने और 1994 के अधिनियम तथा 2009 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और प्रणालियों का गहन अध्ययन करने के बाद, यह न्यायालय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के बीच स्पष्ट अंतर पाता है। कोई सदस्य जो निम्न पदानुक्रम की संस्था से किसी पंचायती राज संस्था में निर्वाचित होने का पात्र या हकदार है, वह ऐसे पद पर बने रहने का दावा नहीं कर सकता, जब वह वार्ड या पंचायती राज संस्था, जहाँ से वह रहता है या जहाँ से उसने चुनाव लड़ा था, अब पंचायती राज संस्था के रूप में बनी नहीं रह गई है।

24. धारा 2(1) के परिभाषा खंड (ii), (xiii), (xvi) और (xvii) तथा 1994 के अधिनियम की धारा 9, 10, 13 और 14 में निहित अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में तीन पदानुक्रमिक स्तर होते हैं, अर्थात् ग्राम पंचायत; पंचायत समिति और जिला परिषद, जो क्रमशः गाँव, ब्लॉक और जिले के लिए हैं। एक पंचायत समिति विभिन्न ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी होती है, जबकि जिला परिषद पंचायत समितियों के समूह से मिलकर बनी होती है और तदनुसार, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड बनाए जाते हैं।

25. 1994 के अधिनियम की धारा 14(1) में प्रावधान है कि जिला परिषद में उपधारा (2) के तहत निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जबकि धारा 14 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित करेगी और उसके बाद क्षेत्र को एकल सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगी।

26. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता की दलील तर्कसंगत प्रतीत होता है कि चूँकि वह पंचायत समिति के वार्ड संख्या 9 से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था, जिसमें गाँव-नापासर शामिल है, इसलिए उसे केवल इसलिए हटाया नहीं जा सकता क्योंकि गाँव-नापासर को नगरपालिका घोषित कर दिया गया है। लेकिन अन्य सुसंगत प्रावधानों, विशेष रूप से, 2009 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के खंड (क), (ख) और (च) पर ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, जब पंचायत क्षेत्र का पूरा या उसका कोई भाग इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है या गाँव से बाहर रखा जाता है और

नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो ऐसा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह जाएगा और ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका अधिकारिता का प्रयोग करेगी।

27. 1994 के अधिनियम की धारा 10 में प्रयुक्त निम्नलिखित अभिव्यक्ति, जो पंचायत समिति की स्थापना से संबंधित है, स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि ब्लॉक के ऐसे भाग जो नगर पालिका में शामिल हैं, पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होंगे:-

> "राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसी जिले के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र को ब्लॉक घोषित कर सकेगी और इस प्रकार घोषित प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, संपूर्ण ब्लॉक पर होगा, जिसमें ब्लॉक के ऐसे भाग शामिल नहीं होंगे जो किसी नगरपालिका या किसी तत्समय प्रवृत्त कानून के अंतर्गत गठित छावनी बोर्ड में सम्मिलित हैं।"

28. दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के अनुसार, राजस्व ग्राम-नापासर (जनसंख्या 22893) का सम्पूर्ण क्षेत्र नगरपालिका बोर्ड का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, अतः नापासर अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा। अतः, अधिनियम 2009 की धारा 3(8) के खण्ड (एफ) के अनुसार, ऐसा क्षेत्र अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों एवं उपनियमों के अधीन नहीं होगा।

29. 1994 के अधिनियम की धारा 101 की उपधारा (1) के खंड (घ) में प्रावधान है कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, राज्य सरकार पंचायत सर्किल से किसी भी स्थानीय क्षेत्र के पूरे या हिस्से को बाहर कर सकती है और/या घोषित कर सकती है कि ऐसा स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहेगा।

30. अधिनियम 1994 की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (घ) में जो प्रावधान किया गया है, उसके परिणामस्वरूप, यदि सम्पूर्ण पंचायत सर्किल ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह जाता है, तो संबंधित पंचायत भंग हो जाती है तथा ऐसे पंचायत सर्किल से निर्वाचित स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हटा दिए जाते हैं।

31. वर्तमान मामले में, चूंकि सम्पूर्ण ग्राम पंचायत, नापासर को नगरपालिका बोर्ड घोषित किया गया है, अतः स्वाभाविक परिणाम स्वरूप ऐसी ग्राम पंचायत, नापासर विघटित हो जाती है तथा अधिनियम 1994 की धारा 101(2)(डी) में किए गए प्रावधान के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हटा दिए जाते हैं।

32. एक बार जब कोई पंचायत सर्किल पंचायती राज संस्था नहीं रह जाता है और एक शहरी क्षेत्र बन जाता है, तो 1994 के अधिनियम के प्रावधान निष्क्रिय हो जाते हैं। साथ ही, ऐसा क्षेत्र एक गाँव नहीं रह जाता है और ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है, जिसके साथ ही यह तत्संबंधी अनुबंध भी लागू होता है कि ऐसे क्षेत्र पर स्थापित पंचायत कार्य करना बंद कर देती है ।

33. इसी प्रकार, 2009 के अधिनियम की धारा 3(8) के खंड (क) और (ख) के अनुसार, न केवल ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रह जाता, बल्कि ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका भी ऐसे क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना शुरू कर देती है और परिणामस्वरूप, ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत कार्य करना बंद कर देती है।

34. याचिकाकर्ता ने अधिनियम 2009 की धारा 3 की उपधारा (8) के खंड (ग) पर इस तर्क के लिए बहुत बल दिया है कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल समाप्त नहीं होगा। लेकिन, इस न्यायालय के अनुसार, धारा 3 की उपधारा (8) का खंड (ग) उस पंचायत के सदस्यों तक ही सीमित है जिसे नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिनियम 2009 की धारा 3(8) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन से एक नई नगरपालिका अस्तित्व में आती है। इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि धारा 3 की उपधारा (8) के खंड (ग) को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगरपालिका के चुनाव होने तक नगरपालिका कार्य कर सके।

35. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करें तो, राजस्व ग्राम-नापासर का संपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका बोर्ड घोषित कर दिया गया है और परिणामस्वरूप, नापासर का वह क्षेत्र जो पहले एक ग्रामीण क्षेत्र था, अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा। परिणामस्वरूप, पंचायत समिति, बीकानेर का वार्ड संख्या 9, जो नापासर ग्राम का हिस्सा था, अधिनियम 1994 की धारा 10 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के कारण मिट गया या समाप्त हो गया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य सरकार जिले के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड घोषित कर सकती है, जिसमें एक पंचायत समिति होगी जिसका क्षेत्राधिकार पूरे खंड पर होगा, खंड के उन भागों को छोड़कर जो नगरपालिका में शामिल हैं।

36. दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के प्रकाशन का परिणाम यह है कि ग्राम पंचायत, नापासर का संपूर्ण ब्लॉक पंचायत समिति, बीकानेर से बाहर कर दिया गया है। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पंचायत समिति, बीकानेर में पहले 21 वार्ड हुआ करते थे, जिनमें से वार्ड संख्या 9 और 10 ग्राम पंचायत, नापासर के थे। चूँकि नापासर का राजस्व क्षेत्र अब राजस्व क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र नहीं

रहा और शहरी क्षेत्र बन गया है तथा नगर पालिका घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये वार्ड (वार्ड संख्या 9 और 10) कानून के प्रभाव से अस्तित्व में नहीं रहे।

37. चूंकि ग्राम पंचायत, नापासर का संपूर्ण क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के रूप में नहीं रह गया है और नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है, इसलिए 1994 के अधिनियम की धारा 101 (2) (डी) लागू होती है जो 1994 के अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अनुरूप है। इस तरह के प्रावधान का एक सरल वाचन यह सुझाव देता है कि ऐसी स्थिति में, पंचायत भंग हो जाएगी और सदस्य, जो पंचायत सर्कल से बाहर रखे गए स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हटा दिए जाएंगे।

38. धारा 101(2)(घ) में अंतर्विष्ट प्रावधान न केवल ग्राम पंचायत के सदस्यों से संबंधित है, बल्कि यह भी प्रावधान करता है कि पंचायत क्षेत्र से बाहर रखे गए स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को हटा दिया जाएगा। अतः, याचिकाकर्ता, जो वार्ड संख्या 9 से निर्वाचित हुआ था, तथा अन्य सदस्य, अर्थात् किशन, जो ऐसी पंचायत समिति (नापासर का प्रतिनिधित्व करता है - जो पंचायत क्षेत्र से बाहर रखा गया है) के वार्ड संख्या 10 से निर्वाचित हुआ था, को भी आक्षेपित अधिसूचना(ओं)/आदेशों के जारी होने के परिणामस्वरूप विदाई दी जानी चाहिए।

39. याचिकाकर्ता द्वारा 2009 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) पर भरोसा करना पूरी तरह से अनुचित और गलत धारणा पर आधारित है। 2009 के अधिनियम की धारा 3 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि वर्तमान मामला धारा 3(1) के खंड (क) के दायरे में आता है और इस प्रकार, लागू प्रावधान धारा 3(1)(i) है। धारा 3(1)(iii), जिसका श्री पुनिया ने इतने उत्साह से ज़िक्र किया है, केवल धारा 101 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित आकस्मिकता में ही लागू होती है, अर्थात् नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन, किसी नगर पालिका का विलय या विभाजन।

40. जहाँ तक 2009 के अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों का संबंध है, संबंधित प्रावधान - धारा 3(1)(i) केवल यह प्रावधान करती है कि उस क्षेत्र के सदस्यों का चुनाव छह महीने की अवधि के भीतर कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, नापासर को नगर पालिका घोषित किए जाने के फलस्वरूप, राज्य का यह दायित्व है कि वह नियत तिथि से छह महीने के भीतर उस क्षेत्र या अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों का चुनाव कराए।

41. कुछ भिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, भींवाराम (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ को 2009 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8)

की व्याख्या करने का अवसर मिला था। निर्णय के पैरा संख्या 9 और 10 में खंडपीठ द्वारा की गई चर्चा या विश्लेषण ध्यान देने योग्य है, और इसलिए, उन पैराग्राफों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: -

> 9. धारा 3 की उपधारा (8) में प्रावधान है कि जब किसी गांव में शामिल किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, या जब किसी क्षेत्र को गांव से बाहर रखा जाता है और उसमें शामिल किया जाता है, तो उस तारीख से प्रभावी होगा, जब ऐसा क्षेत्र इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है या इसमें शामिल किया जाता है, खंड (ए) से (एफ) के तहत प्रदान किए गए परिणाम लागू होंगे। अन्य प्रावधानों के साथ-साथ, इसके खंड (सी) में प्रावधान है कि जब तक उप-धारा (1) के तहत चुनाव नहीं हो जाते हैं या नगरपालिका का कार्यकाल अधिनियम के तहत समाप्त नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो, तब तक सरपंच, उपसरपंच, पंच और पंचों को उस गांव के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना जो नगरपालिका में शामिल है या नगरपालिका के रूप में घोषित किया गया है, उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र शामिल है या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका के क्रमशः सदस्य, जैसा भी मामला हो।
>
> 10. अतः, धारा 3 की उपधारा (8) में निहित प्रावधान कानून के क्रियान्वयन से उत्पन्न परिणामों का प्रावधान करते हैं, जिसके अनुसार, यदि किसी ग्राम क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया जाता है, तो सरपंच, उपसरपंच को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष माना जाएगा। हालाँकि, अधिनियम की उपरोक्त विधायी योजना सभी प्रकार की स्थितियों से संबंधित नहीं है।

42. इस न्यायालय को 2009 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के खंड (सी) पर आधारित याचिकाकर्ता की इस दलील में भी कोई सार नहीं लगता कि उसका कार्यकाल भी बचाया जाना चाहिए। धारा 3(8) (सी), जो एक अस्थायी प्रावधान है, स्पष्ट रूप से इसे सरपंच, उप-सरपंच और ग्राम पंचायत के पंच या पंचों तक ही सीमित करता है और यह प्रावधान करता है कि वे उस क्षेत्र की नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे। यह प्रावधान पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। चूंकि, न तो इस तरह का कोई अस्थायी प्रावधान किया जा सकता है और न ही पंचायत समिति के सदस्यों और प्रधान के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता प्रधान के पद पर अपने कार्यकाल की समाप्ति से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।

43. याचिकाकर्ता ने दलीप कुमार, जो ग्राम पंचायत, खाजूवाला के सदस्य हैं, के साथ समानता का दावा किया है और तर्क दिया है कि चूँकि उन्हें पद पर बनाए रखा गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को भी पद पर बनाए रखा जाना चाहिए। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को कानून के प्रवर्तन द्वारा हटाया जा चुका है, यह न्यायालय राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेश पंवार द्वारा दिए गए बयान को दर्ज करना चाहेगा, जिन्होंने स्वीकार किया कि उक्त दलीप कुमार पंचायत समिति, खाजूवाला के सदस्य के रूप में पद पर बने नहीं रह सकते और राज्य आवश्यक आदेश/घोषणा पारित करने की प्रक्रिया में है। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता का आधार, जो अन्यथा बहुत कम ठोस है, क्षीण हो जाता है और उस पर किसी विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।

44. अतः यह न्यायालय न तो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.11.2024 में और न ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.02.2025 में कोई अवैधता पाता है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, नापासर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा दिया गया है।

45. अतः रिट याचिका खारिज की जाती है।

46. यह अवेक्षणीय है कि जहां तक प्रार्थना (क) का संबंध है, जो ग्राम पंचायत, नापासर को नगर पालिका घोषित करने वाली अधिसूचना दिनांक 07.11.2024 को अभिखंडित करने से संबंधित है, कोई तर्क नहीं दिया गया।

47. स्थगन आवेदन और अन्य अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, भी तदनुसार खारिज किये जाते हैं।

**(दिनेश मेहता),जे**

518-अरविंद/-

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी